झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

संकल्प

विषय :– केन्द्र प्रायोजित मिशन शक्ति के तहत् शक्ति सदन योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति।

महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु एक समग्र एवं समेकित योजना " मिशन शक्ति " का क्रियान्वित है। इसके तहत् " संबल " तथा " सामर्थ्य " घटक कार्यक्रमों के तहत् विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से दिशा–निर्देशांक– WW-23/1/2021-WW, दिनांक–14.07.2022 के माध्यम से विस्तृत मार्गनिर्देश निर्गत है। भारत सरकार द्वारा मिशन शक्ति का संचालन पन्द्रहवीं वित्त आयोग की अवधि यथा– वर्ष–2021–2026 की अवधि हेतु कार्यान्वित कराया जाना संसूचित है।

2. कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं को संस्थागत सहायता प्रदान करने के लिए स्वाधार गृह योजना एवं तस्करी के रोक–थाम के लिए उज्जवला योजना राज्य में क्रियान्वित है। इन योजनाओं के माध्यम से महिला के लिए एक सुरक्षित और सक्षम वातावरण बनाना है और उन्हें अपने कठिन परिस्थितियों से उबरने और एक नई शुरूआत करने की शक्ति प्रदान करना है।

सम्प्रति राज्य के रामगढ, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर एवं साहेबगंज में एक–एक स्वाधार गृह तथा पलामू एवं हजारीबाग में एक–एक उज्जवला गृह संचालित है। इनमें सम्प्रति हजारीबाग के स्वाधार गृह एवं उज्जवला गृह को समाहित कर एक सदन के रूप में संचालित कराया जा रहा है। एतद् सभी गृह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गनिर्देशों के आलोक में संचालित है। इनका संचालन जिलों में चयनित स्वंय सेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है।

3. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सम्प्रति प्राप्त मार्गनिर्देशानुसार प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए स्वाधार और उज्जवला योजना का विलय कर दिया गया और इन्हें "शक्ति सदन– समेकित सहायता एवं पुनर्वास गृह" नाम से संचालित किया जाना है एवं एतद् संबंध में उक्त विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

4. वर्णित परिप्रेक्ष्य में निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

i. केन्द्र प्रायोजित मिशन शक्ति के तहत् शक्ति सदन योजना का कार्यान्वयन अगले आदेश तक के लिए संचालन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ii. योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से मार्गनिर्देशांक– WW-23/1/2021-WW, दिनांक–14.07.2022 एवं समय–समय पर प्राप्त दिशा निर्देशों के अलोक में के अनुपालन में किया जायेगा।

iii. सम्प्रति संचालित स्वाधार गृह एवं उज्जवला गृह शक्ति सदन के रूप में संचालित कराये जायेंगे। इसके तहत् विभिन्न वर्गों के महिलाओं यथा– कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं एवं मानव–व्यापार की शिकार महिलाओं को एक ही परिसर में भिन्न भवनों अथवा एक ही भवन में रखा जा सकेगा।

मानसिक अथवा शारीरिक दिव्यांगजनों के महिलाओं के लिए अलग से भवनों का निर्माण संबद्ध योजनाओं के अभिसरण में कराया जायेगा।

iv. योजना के तहत् सम्प्रति स्व–भवनों में संचालित गृहों का संचालन जारी रखा जायेगा। गृहों के स्व–भवन नहीं रहने पर समुचित क्षमता वाले उपलब्ध सरकारी भवनों में गृहों का संचालन को प्राथमिकता दी जायेगी। सरकारी भवनों की अनुपलब्धता पर गृहों का संचालन किराया भवनों में किया जायेगा।

v. योजना के तहत् सम्प्रति स्वंय सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित स्वाधार गृह एवं उज्जवला गृह का संचालन एवं विभिन्न दायित्वों का वहन शक्ति सदन योजनान्तर्गत दिनांक–31.03.2024 तक किया जायेगा। वित्तीय वर्ष–2024–25 से इन गृहों को शक्ति सदन के रूप में प्रशासी विभाग अधीनस्थ जिला प्राधिकारों के माध्यम से कार्यान्वित करायेगी।

vi. प्रत्येक शक्ति सदन 50 संवासिनों के लिए संचालित होगी। सदन में लाभार्थियों को आश्रय, भोजन, वस्त्र, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएँ एवं अन्य दैनिक आवश्यकताएँ तथा व्यक्तिगत जरूरतों के लिए सहयोग उपलब्ध/पूर्ति कराये जायेंगे। एतद् सेवाएँ/सुविधाएँ निम्नवत् होंगे :–

a) आवासन ;

b) मूलभूत आवश्यकताएँ यथा–भोजन, वस्त्र, तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए सहयोगः–

क्र०	सेवाएँ/सुविधाएँ	विवरणी
1.	भोजन	नाश्ता, मध्याह्न भोजन, संध्या नाश्ता एवं रात्रि भोजन।
2.	वस्त्र	वर्ष में एक बार
3.	सैनिटरी नैपकिन	प्रत्येक संवासिनों पर प्रतिमाह अधिकतम 10 नैपकिन
4.	जेब खर्च	भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर
5.	मनोरंजन गतिविधियाँ	
6.	प्रसाधन सामग्री	आवश्यकतानुरूप (साबुन, तेल, दंत–मंजन इत्यादि)
7.	प्रधानमंत्री जन–धन योजना बैंक खाता	स्थानीय बैंकों के सहयोग से प्रबंधित
8.	आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, झारखण्ड के अभिसरण/सहयोग से

c) **विधिक सेवा** – संवासिनो को आवश्यकतानुरूप विधिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। इसके लिए कार्रवाईयाँ जिला विधिक सहायता प्राधिकरण (DALSA) के सहयोग से सम्पादित कराये जायेंगे। जिला विधिक सहायता प्राधिकरण से अपेक्षित सहयोग उपलब्ध नहीं हो सकने की स्थिति में जिला प्राधिकार द्वारा उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराया जायेगा। सखी वन स्टॉप सेंटर के अधीन विधिक सुविधाएँ भी संवासिनों को विधिक सहायता के लिए उपलब्ध होंगी।

इनसे संवासिनों को उनके संपत्ति के अधिकार, वैवाहिक अधिकार, तलाक, जीवन निर्वहन संबंधी अधिकार एवं बच्चों की अभिरक्षा संबंधी अधिकार के संबंध में विधिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

d) **चिकित्सा सुविधाएँ**– संवासिनों के लिए प्राथमिक चिकित्सीय सुविधाएँ सदन में उपलब्ध कराये जायेंगे। सदन में चिकित्सक का साप्ताहिक भ्रमण सुनिश्चित कराया जायेगा जिससे संवासिनों को सामान्य स्वस्थ्य जाँच एवं आवश्यकतानुरूप आपातकालीन स्थिति में त्वरित चिकित्सीय सहायता उपलबध रहे। संवासिनों का आवश्यक स्वास्थ्य जाँच एवं चिकित्सीय सुविधा जिला चिकित्सालय/स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जायेगा।

एतद् संबंधी व्यय योजनान्तर्गत प्रबंधन लागत मद के तहत् वहित होंगे।

e) **परामर्श** – मिशन शक्ति के तहत् कार्यान्वित सखी वन स्टॉप सेंटर के अधीन सेवा प्रदाता परामर्शदाताओं से शक्ति सदन में रहने वाली संवासिनों को आवश्यकतानुरूप मनो–सामाजिक परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा।

f) **शिक्षा** – संवासिनों को औपचारिक अथवा मुक्त विद्यालयी शिक्षा उपलब्ध कराया जायेगा। इसके तहत् पठन एवं लेखन सामग्री, यूनिफॉर्म एवं अन्य आकस्मिक व्यय का वहन योजनान्तर्गत कराया जायेगा।

संवासिनों को आवश्यकतानुरूप ई०–शिक्षा एवं मुक्त विद्यालयी शिक्षा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड एवं उच्च, तकनिकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के अभिसरण/समन्वयन में उपलब्ध कराया जायेगा।

उपर्युक्त हेतु किसी उपस्कर/यंत्र यथा–कम्प्यूटर, टेलिविजन सेट, इन्टरनेट संयोजन इत्यादि की सुविधा नियमानुसार उपलब्ध कराई जायेगी।

g) **व्यवसायिक प्रशिक्षण** :– श्रम एवं रोजगार मंत्रालय अधीन रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावयायिक प्रशिक्षण संस्थाओं /राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से संवासिनों को व्यावसयिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास संबंधी कक्षाएँ उपलब्ध कराने की व्यवस्था शक्ति सदन योजना के तहत् उपलब्ध कराई जायेगी।

एतद् हेतु आवश्यक प्रशिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क इत्यादि की (यदि किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के तहत् वहित न हो) लाभार्थी द्वारा प्रशिक्षण सफलता पूर्वक प्राप्त कर लेने एवं इस संबंधी निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिपूर्ति की जाएगी।

प्रशिक्षण प्राप्त करने के क्रम में संवासिनों द्वारा प्रशिक्षण स्थल के लिए की गई यात्रा व्यय का वहन (यदि किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के तहत् वहित न हो) योजनान्तर्गत आकस्मिक व्यय मद से किया जायेगा।

संवासिनों के सूक्ष्म उद्योग/व्यापार अधिष्ठापन पर SIDBI, MUDRA एवं अन्य संगत योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत् सूक्ष्म ऋण प्राप्ति में सदनीय प्रबंधन द्वारा सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा।

vii. संवासिनों के लिए खोले गये बैंक खाते में प्रत्येक संवासिन प्रत्येक माह रू०–500 जमा कराये जायेंगे एवं सुनिश्चित कराया जायेगा कि इस निधि की निकासी संवासिन द्वारा शक्ति सदन में आवासित अवधि में नहीं हो। इससे संवासिन के शक्ति सदन को छोड़ने के उपरांत गरिमामय नये जीवन के प्रारंभ हेतु उपलब्ध होगा।

अपितु इस निधि का संवासिनों द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के प्रीमियम भुगतान हेतु उपयोग उनके शक्ति सदन में आवासन अवधि में भी किया जा सकेगा।

viii. शक्ति सदन में आवासित संवासिनों के अविवाहित पुत्री एवं 12 वर्ष तक के पुत्र उनके साथ रह सकेंगे। सदन में संवासिनों के साथ आवासित पुत्र के 12 वर्ष से अधिक आयु होने पर पुत्र को बाल संरक्षण सेवाएँ/किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम के तहत् संचालित निकटतम बाल गृह में स्थानान्तरित किया जायेगा।

ix. शक्ति सदन के संवासिनों को तीन वर्ष से अधिक के आश्रय अवधि में विस्तार उपायुक्त के स्वीकृति से प्रदान किया जायेगा जो आवश्यकता आधारित होगी। 55 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए आवासित कराया जायेगा एवं इसके उपरांत उन्हें निकटतम वृद्धाश्रम में स्थानान्तरित कराया जायेगा।

x. सखी वन स्टॉप सेन्टर के लाभार्थी के लंबी अवधि के प्रवास के लिए उन्हें शक्ति सदन में आश्रय उपलब्ध कराया जाएगा।

xi. नवीन शक्ति सदन का संचालन इसके महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृत होने पर कराई जायेगी। इस क्रम में योजना कार्यान्वयन संबंधी निर्धारित मापदंडों के दृष्टिगत् नवीन गृह के आवश्यकता पर प्रशासी विभाग द्वारा मूल्यांकन कर निर्णय लिया जायेगा।

xii. शक्ति सदन का संचालन में जिला प्राधिकारों द्वारा महिला एवं बाल व्यापार, महिला शोषण, प्रताड़ना इत्यादि विरोधी संस्थाओं यथा–मानव तस्करी विरोधी इकाई, पुलिस थानों के महिला सहायता डेस्क, स्वंय सेवी संस्थाओं, पंचायत इत्यादि से समन्वय एवं सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

xiii. योजनान्तर्गत निर्दिष्ट Shakti Sadan Management मद से गृहों में लाभार्थियों के उपयोग हेतु आवश्यक उपस्करों एवं समाग्रियों का क्रय एवं आपूर्त्ति प्राप्त किया जायेगा। इस क्रम में प्रति सदन प्रतिवर्ष निर्धारित रू०–12.84 लाख (जिसमें कार्यबल पर व्यय सन्निहित) के तहत् व्यय कराया जायेगा।

xiv. योजनान्तर्गत संचालित शक्ति सदन (50 संवासिनों के लिए) में निम्न वर्णित मानव संसाधन की व्यवस्था की जायेगी :–

a. Human Resource @ Shakti Sadan

Sl.	Position	No. of Posts	Consolidated Remuneration/month/staff	Annual Expenditure (Rs.)
1	*2*	*3*	*4*	*5=(col 3* col 4*12)*
1.	Resident Superintendent	01	18,000/-	2,16,000/-
2.	Office Assistant	01	12,000/-	1,44,000/-
3.	Multi-Purpose Staff	02	11,000/-	2,64,000/-
4.	Cook	02	10,000/-	2,40,000/-
5.	Security Guard/Night Guard	03	10,000/-	3,60,000/-
Total		**09**	**1,02,000/-**	**12,24,000/-**

xv. उपर्युक्त कर्मियों की सेवा बाह्य स्त्रोत के आधार पर प्राप्त की जायेगी। कर्मियों की सेवा Outsource करने वाली संस्थाओं का निविदा के माध्यम से चयन कर उनसे उपर्युक्त कर्मियों को Outsource किया जायेगा।

एतद् हेतु इन सेवाओं संबंधी क्रय एवं आपूर्त्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं एवं प्रावधानित नियमों के अनुपालन में प्राप्त किया जायेगा।

xvi. उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अर्हता एवं अनुभव निम्नवत् होगा :–

a. Human Resource @ Each Shakti Sadan

Sl.	Name of Post	Qualification & Experience
1.	Resident Superintendent	**Qualification**: Any woman having a Masters in Law/ Social Work/ Sociology/ Social Science/Psychology with at least 5 years" experience of working on women related relevant domains in an administrative set-up with a Government or Non Government project/program and preferably with at least 1-year experience of counselling either within or outside the same set-up. She should be preferably a resident of the local community so that local human resource and expertise is utilised for effective functioning of the centre.
2.	Office Assistant	**Qualification**: A graduate with a minimum of 3 year' experience in handling office documentation related job with proficiency in working on computers, at state or district level with government or Non-Governmental organizations (registered by any Government organization). A Women aspirant will be preferred.
3.	Multi-purpose Staff	**Qualification**: 10th class pass under 10+2 system from any recognized board. Having knowledge / experience of working in the organization work for safety and security of women and child. A Women aspirant will be preferred.
4.	Cook	**Qualification**: Literate with knowledge/experience of cooking with government or registered Non-Governmental organizations (registered by any Government organization). High School pass or equivalent will be preferred. A Women aspirant will be preferred.
5.	Security Guard/ Night Guard	**Qualification**: The services could be outsourced to any person having at least 2 years" experience of working as security personnel in a government or reputed organization at the district/ state level. He/ she should preferably be retired military / para-military personnel.

**Cook एवं Security Guard/ Night Guard पाली आधारित कार्यरत रहेंगे।*

xvii. उपर्युक्त पदों संबंधी सेवाओं की क्रय एवं आपूर्त्ति प्राप्ति के क्रम में सेवा प्रदाता एजेन्सियों को सेवा शुल्क इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार के नियमों/प्रावधानों के आलोक में भुगतेय होगा। क्रय एवं आपूर्त्ति प्रक्रिया के क्रम में एतद् संबंधी शुल्क नियोक्ता एवं सेवा प्रदाता कम्पनियों के मध्य Negotiable होंगे ताकि इस मद पर व्यय अल्पतम हो।

एतद् शुल्क सहित कर्मियों के पारिश्रमिकी पर अधिकतम व्यय कंडिका–4 (xiv) (a) के तहत् होगा।

xviii. उपर्युक्त सभी पद पूर्ण रुप से अस्थाई एवं योजना अवधि तक होंगे। योजना समापन अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी प्रकार के संशोधन पर पद की प्रकृति, सृजित संख्या, पारिश्रमिकी भुगतान सहित अन्य शर्त्तें यथा समाप्त/संशोधित होंगे। एतद् क्रम में सेवा नियमितीकरण संबंधी आपूर्त्तिकर्त्ताओं/कर्मियों के किसी प्रकार का दावा अमान्य होगा।

xix. योजनान्तर्गत संचालित इन केन्द्रों के सुचारू कार्यान्वयन पर व्यय निम्नवत् की जायेगी :–

a. Costing Norms for Each Shakti Sadan (For 50 Resident)

Sl.	Expenses	Annual Expenditure (Rs.)
1.	Shakti Sadan Management	12.84 Lakh
2.	Rent for 1,000 sqm.	
	For A/X- Tier City	6.50 Lakh
	For B/Y- Tier City	4.50 Lakh
	For C/Z- Tier City	3.00 Lakh
3.	Expenses on Resident including Health Insurance @ Rs. 5,300/- p.m. per resident	30.00 Lakh
4.	Administrative Expenses @ Rs. 15,000/- p.m.	1.80 Lakh
5.	Expenses on Jan Dhan Bank Account @ Rs. 500/- per resident	3.00 Lakh
6.	Rescue, Repartition, Reintegration, Reward for trafficked	2.50 Lakh
Total (For A/X- Tier City)		**56.64 Lakh**
Total (For B/Y- Tier City)		**54.64 Lakh**
Total (For C/Z- Tier City)		**53.14 Lakh**

xx. योजना के कार्यान्वयन केन्द्रांश एवं राज्यांश के 60 : 40 के व्यय अनुपात में किया जायेगा तथापि Outsourcing से सेवा प्राप्ति के क्रम में भुगतेय GST का व्यय वहन शत् प्रतिशत् राज्य मद से किया जायेगा।।

xxi. कर्मियों की सेवा Outsource करने वाली एजेन्सियों को भुगतेय वस्तु एवं सेवा कर (GST), जो उपर्युक्त आकलित व्यय के अतिरेक होगी, का भुगतान तदेन प्रभावी दर पर राज्य मद (100% राज्यांश) से की जायेगी।

यद्यपि योजना का कार्यान्वयन SNA Module के अनुपालन में कराई जायेगी, अतएव राज्य मद से की जाने वाली एतद् अतिरेक व्यय का X-Flagging कर व्यय कराई जायेगी। एतद् संबंधी भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुपालन में कार्रवाई की जायेगी।

xxii. योजना का कार्यान्वयन SNA मापदंडों के आलोक में किया जायेगा। योजना का कार्यान्वयन संबंधी समय–समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुपालन में कराया जायेगा।

xxiii. भविष्य में गुणोत्तर व्यवस्था प्रतिस्थापन हेतु उपर्युक्त प्रावधानों में वित्त विभागीय सहमति से सकारात्मक संशोधन किया जा सकेगा।

5. योजना कार्यान्वयन हेतु वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2024–25 में केन्द्रांश अधीन रू०–467.59 लाख तथा राज्यांश अधीन रू०–332.41 लाख अर्थात कुल रू०–800.00 लाख का बजटीय उपबंध प्राप्त है।

प्रत्येक जिले में एक–एक शक्ति सदन के संचालन पर प्रतिवर्ष निम्नवत् व्यय संभावित है :–

क्र०	विवरणी	कुल वार्षिक व्यय (लाख रू० में)
1.	B/Y- Tier City यथा– राँची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद में	218.56
2.	शेष अन्य C/Z- Tier City में शक्ति सदन संचालन पर	1062.80
कुल		**1281.36**

अपितु सम्प्रति छह गृह (स्वाधार गृह एवं उज्जवला गृह जिन्हें शक्ति सदन के रूप में संचालित होने हैं) संचालित हैं एवं इनके योजनान्तर्गत प्रावधानित स्वरूप में कार्यान्वन पर प्रति वर्ष रू०–318.84 लाख व्यय आकलित है।

योजनान्तर्गत आगामी समय में आवश्यकतानुरूप समुचित बजटीय प्रावधान हेतु प्रशासी विभाग आवश्यक कार्रवाई करेगा।

6. योजना कार्यान्वयन पर व्यय हेतु राशि की निकासी केन्द्रांश, राज्यांश एवं अतिरेक व्यय अंश (निर्दिष्ट Flagging के) के निम्नवत् शीर्षों :–

(क) जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना– बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष–02–समाज कल्याण, लघु शीर्ष –796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष–B9/सामर्थ्य (मिशन शक्ति) के तहत् शक्ति सदन ;

(ख) अन्य क्षेत्रीय उपयोजना– बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष–02–समाज कल्याण, लघु शीर्ष–103–महिला कल्याण, उपशीर्ष–B9/सामर्थ्य (मिशन शक्ति) के तहत् शक्ति सदन ;

–के उपर्युक्त अनुगामी शीर्षों/इकाईयों के तहत् किया जायेगा।

7. एतद् प्रावधान इसके संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

8. एतद् पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक–06.09.2024 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या–39 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

19/9/24

(मनोज कुमार)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 05/म०स०/यो0–103/2023– 2298 **राँची, दिनांक :–** 19.09.2024

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई० गजट को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

19/9/24

(मनोज कुमार)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 05/म०स०/यो0–103/2023– 2298 **राँची, दिनांक :–** 19.09.2024

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, झाखण्ड, राँची/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/महानिदेशक, झारखण्ड राज्य पोषण मिशन, राँची/निदेशक, झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था, राँची/निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड, राँची/परियोजना निदेशक, झारखण्ड महिला विकास समिति, झारखण्ड, राँची/निःशक्तता आयुक्त, राज्य

निःशक्तता आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड, राँची/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी उप विकास आयुक्त, झारखण्ड/माननीया विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
सरकार के सचिव